

पत्रांक- 4494 / 12-1, कोटबंगला, दिनांक 20 / 06 / 2024

सेवा में

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
धरासू उप वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनापद उत्तरकाशी के बुण्डा-धनारी-रोम मुखेम मोटर मार्ग का पट्टी से आगे रोम नागराजा मन्दिर तक निर्माण के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक- 4009 / 12-1, दिनांक- 21.05.2024।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपको अवगत कराया गया था कि विषयगत मोटर मार्ग के समरेखण में बांज व वुरांश के अत्यधिक वृक्ष (972) आ रहे हैं, जिस कारण इस कार्यालय के पत्र- 2499 / 12-1, दिनांक- 20.03.2023 द्वारा वैकल्पिक समरेखण खोजने का प्रयास करने हेतु प्रस्तावक विभाग को पत्र लिखा गया था। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित समरेखण के अलावा अन्य कोई भी वैकल्पिक समरेखण उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत समरेखण पर विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिस हेतु आपको निर्देशित किया गया था कि विषयगत मोटर का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या में निम्नलिखित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए अपनी औचित्य पूर्ण निरीक्षण आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, जो आतिथि तक इस कार्यालय को अप्राप्त है।

1. प्रस्तावित समरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की प्रजातिवार संख्या।
2. वैकल्पिक समरेखण तथा प्रस्तावित समरेखण का तुलनात्मक आंकलन।
3. प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्रामों तथा परिवारों की संख्या का विवरण।
4. लाभ लागत की दृष्टि से प्रस्तावित मोटर मार्ग की औचित्य पूर्ण आख्या।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि विषयगत मोटर मार्ग का स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या में उपरोक्त बिन्दुओं का को सम्मिलित करते हुए अपनी औचित्य पूर्ण निरीक्षण आख्या 01 सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कृपया इसे महत्वपूर्ण समझें।

प्रब व० प्रब


(डी०पी० बतुनी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

महोदय, उक्त प्रस्तावित मार्ग का निर्माण लो० नि० वि०, उत्तरकाशी द्वारा किया जाना है। मार्ग में बाधक वृक्षों व अन्य alignment जानने के लिए P.W.D के न्यूनतम जंटे स्वर के कर्मचारियों का कौरे पर उपस्थित रहना अनिवार्य है, उक्त मार्ग के निर्माण संबंध में अर्थात् द्वारा लगाए P.W.D से सम्पर्क किया गया परन्तु उन्हे द्वारा किसी कर्मचारी को भी निरीक्षण हेतु नहीं भेजा गया, साथ ही मार्ग निर्माण या ऐसे किसी कार्य जोकि प्रस्तावित कंपनी द्वारा बिच क्लेयर है उसे पत्र निर्माण विभाग को लिखा जाय। चाहे, फिलाले मार्ग को निरीक्षण माने भी निर्माण विभाग को भी सूचित किया जाये, फिलाले मार्ग पूर्ण माने भी निर्माण विभाग को सूचित किया जाये। तभी अर्थात् निर्माण परामर्श प्राप्त किया जाना (विचार के पत्र)।

अतः महोदय उक्त निरीक्षण हेतु पत्र को अर्थात् को प्रेषित न कर माचन निष्कास के उपरि किया जाये, फिलाले मार्ग पूर्ण माने भी निर्माण विभाग को सूचित किया जाये। तभी अर्थात् निर्माण परामर्श प्राप्त किया जाना (विचार के पत्र)।

प्रमाण पत्र दिया जाना (विचार के पत्र)।

(Signature)
20/6/24